पूर्व सदस्यों को देय पेंशन एवं अन्य सुविधाएँ
(01.04.2019 से)
राजस्थान विधान सभा सचिवालय,
जयपुर।

पेंशन :

निरन्तर या अन्यथा पाँच वर्ष तक की किसी कालावधि के लिए रहा हो, पैंतीस हजार रुपये की पेन्शन;

और उपर्युक्त पाँच वर्ष की कालावधि से अधिक निरन्तर या अन्यथा प्रत्येक वर्ष या उसके भाग के लिए एक हजार छः सौ रुपए की अतिरिक्त पेंशन प्रति मास संदत्त की जायेगी। यदि उसने 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो ते 20 प्रतिशत की वृद्धि और यदि उसने 80 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली हो तो 30 प्रतिशत की वृद्धि की जायेगी। आयु के सम्बन्ध में प्रमाण-पत्र देना आवश्यक होगा।

स्पष्टीकरण : उप चुनाव में निर्वाचित सदस्य की पेंशन अवधारित करने के प्रयोजनार्थ वर्षों की गणना उसके शपथ लेने की तिथि से विधान सभा के विघटन की तिथि को समाप्त होने वाली कालावधि को 5 वर्ष मानकर पेंशन लाभ दिया जाता है । इसी तरह विधान सभा का विघटन पाँच वर्ष से पूर्व होने पर उसकी अवधि भी पाँच वर्ष मानी जायेगी।

कौटुम्बिक पेंशन :

(1) पदकाल समाप्त होने से पहले सदस्य का निधन हो जाने पर उसके पति/पत्नी को ऐसे दिवंगत सदस्य को पदावधि के अनवासित भाग के लिए प्रतिमाह उस वेतन की जिसका कि ऐसा सदस्य तब हकदार रहा होता यदि वह जीवित रहा होता, के समतुल्य रकम की पेंशन दी जाती है।

(2) पूर्व सदस्य के निधन के पश्चात उसकी पत्नी/पति को 17,500/- रुपये या सदस्य द्वारा अंतिम आहरित पेंशन के 50 प्रतिशत के बराबर, जो भी अधिक हो, प्रतिमाह कौटुम्बिक पेंशन प्रदान की जाती है।

चिकित्सा सुविधाएँ :

पूर्व विधायक को चिकित्सा उपचार के मद्दे किये गये व्यय के पुनर्भरण के लिए राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के सेवानिवृत्त अधिकारियों के समान सुविधा देय है।

कौटुम्बिक पेंशन प्राप्त करने वाले को भी चिकित्सा उपचार हेतु किये गये व्यय के पुनर्भण के लिए पूर्व विधायकों के समान सुविधा प्रदान की जाती है।

यात्रा सुविधाएँ :

(क) पूर्व सदस्य को दो निःशुल्क अनन्तरणीय पास दिये जाते हैं जो उनके तथा उनके साथ यात्रा करने वाले किसी व्यक्ति को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सेवा द्वारा किसी भी मार्ग पर संचालित होने वाली बसों के लिए प्रयुक्त किये जा सकेंगे । ऐसे पासों की संख्या एक कलैण्डर वर्ष में 200 तक सीमित है।

(ख) पूर्व सदस्य अकेले या किसी सहयात्री सहित भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में अधिकतम एक लाख रुपये की सीमा तक रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर से किसी भी श्रेणी में की गई यात्रा के वास्तविक किराये का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेगा। परन्तु किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की कुल रकम एक लाख रुपये से

कम है तो एक लाख रुपये की राशि से कम रह गयी राशि को एक वित्तीय वर्ष के लिए अग्रनीत की जाएगी और द्वितीय वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर ऐसी अग्रनीत की अप्रयुक्त सम्पूर्ण राशि व्यपगत हो जाएगी।

(ग) किसी मृत्तक पूर्व सदस्य के पति/पत्नी को एक सौ यात्रा पास प्रतिवर्ष दिये जाएंगे जिससे वह राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की सेवा द्वारा किसी भी ऐसे मार्ग, जिस पर वह चलती हो, जगह की ऐसी श्रेणी में और ऐसी शर्तों के अध्यधीन इस निमत्त बनाये गये नियमों द्वारा विहित किया जाए, यात्रा करने का हकदार होगा।

अन्य सुविधाएँ :

1. डाक बंगला : पूर्व सदस्य राजस्थान स्थित राजकीय डाक बंगलों में महीने में अधिकतम 5 दिन तक ग्रुप 'सी' की देय रियायती दर पर ठहर सकते हैं।

2. पूर्व सदस्यों को राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में रियायती दर पर एक माह में अधिकतम 5 दिन तक ग्रुप 'सी'की देय रियायती दर पर आवास एवं भोजनादि की सुविधा (गृह जिले को छोड़कर) होगी।

3. पूर्व सदस्यों को एक माह में अधिकतम तीन दिन नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा ग्रुप–सी में निर्धारित देय दरों पर उपलब्ध होगी।

* * *